रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222832 CG-DL-E-29102020-222832

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3442] No. 34421 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तबर, 2020

कराधान और अन्य विधि

का.आ. 3906(अ).—केंद्रीय सरकार कराधान और अन्य विधि (कितिपय उपबंधों में छूट तथा संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ यह विनिर्दिष्ट करती है कि उस मामले में, जहाँ विनिर्दिष्ट अधिनियम आयकर अधिनियम, 1961 है और 01 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाले का निर्धारण वर्ष के लिए अनुपालन निम्नलिखित से सम्बंधित है -

- (i) उसकी धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना, ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा,
 - (क) उक्त धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) और (कक) में निर्दिष्ट के निर्धारितीयों के सम्बन्ध में, 31 जनवरी, 2021 तक विस्तारित की जाएगी; और
 - (ख) अन्य निर्धारितीयों के सम्बन्ध में 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित की जाएगी :

परन्तु अधिनियम की उपधारा (1) के चौथे परन्तुक के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित नियत तारीख के इन विस्तारों को लागू होंगे वैसे ही जैसे कि वे उसके तीसरे परन्तुक के खंड (i) के उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट तारीख को होते हैं।

5294 GI/2020 (1)

- (ii) उस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, संपरीक्षा की ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित की जाएगी।
- 2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 88/2020/फा. सं. 370142/35/2020-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर निति और विधान प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

TAXATION AND OTHER LAWS

- **S.O. 3906(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Act, 2020 (38 of 2020) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby specifies, for the purpose of the said sub-section (1), that, in a case where the specified Act is the Income-tax Act, 1961 and the compliance for the assessment year commencing on the 1st day of April, 2020, relates to -
 - (i) furnishing of return under section 139 thereof, the time-limit for furnishing of such return, shall -
 - (a) in respect of the assessees referred to in clauses (a) and (aa) of *Explanation* 2 to sub-section (1) of the said section 139, stand extended to the 31st day of January, 2021; and
 - (b) in respect of other assessees, stand extended to the 31st day of December, 2020:

Provided that the provisions of the fourth proviso to sub-section (1) of the Act shall, *mutatis mutandis* apply to these extensions of due date, as they apply to the date referred to in sub-clause (b) of clause (i) of the third proviso thereof.

- (ii) furnishing of report of audit under any provision of that Act, the time-limit for furnishing of such report of audit shall stand extended to the 31st day of December, 2020.
- 2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 88/2020/ F. No. 370142/35/2020-TPL]

NIRAJ KUMAR, Dy. Secy. (Tax Policy and Legislation Division)